राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार
गृह (सामान्य) विभाग
5 वां स्तर, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

क्रमांक F.6/04/2025/गृह (जी)/ 716

दिनांकः- 26/03/25

सेवा में,

उप. सचिव (प्रश्न एवं समिति)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

विषयः- विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 172 के संबंध में जो दिनांक 27.03.2025 को पूछा जाना है।

महोदय,

कृपया आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां संलग्न है।

यह माननीय गृह मंत्री की पूर्व अनुमति से जारी किया जाता है।

आपका विश्वासी,

उप सचिव (गृह)

Deputy Secretary (Home)
Govt. of NCT of Delhi, 5th
Level, C-Wing, Delhi
Secretariat, I.P. Estate, New Delhi

संलग्नक ऊपरोक्त अनुसार

Scanned with CamScanner

विभाग का नाम : गृह विभाग

विभाग का पता: 5वीं मंजिल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 172

दिनांक : 27.03.2025

प्रश्नकर्त्ता का नाम: श्री जितेन्द्र महाजन, माननीय विधायक

	प्रश्न		उत्तर
(क)	पिछले 5 सालों में दिल्ली की तीनों जेलों तिहाड़, रोहिणी एवं मंडोली में कितने कैदियों (अंडर ट्रायल व कनविक्टिड) को भेजा गया है, इसकी जानकारी दी जाये;	(क)	दिल्ली की जेलों में प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर को (तिहाड़, रोहिणी और मंडोली में) बंदियों की कुल संख्या निम्न प्रकार से थी:
(ख)	पिछले 5 सालों में जेलों में हिंसा की कितनी वारदातों को दर्ज किया गया है और इसमें कितने सिपाहियों /कैदियों का देहांत हुआ है, इसकी पूरी सूची उपलब्ध कराई जाए;	(ख)	पिछले 5 सालों में दिल्ली की जेलों में हिंसा की वारदातों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(क) के उत्तर की तालिका:

वर्ष	हवालाती	सजायाफ्ता बंदी
2024	17118	2235
2023	17786	2139
2022	16732	1638
2021	16686	1571
2020	14528	1471

(ख) के उत्तर की तालिका:

वर्ष	हिंसा की वारदातों की संख्या	हिंसा की वारदातों में होने वाली मौतों की संख्या	मरने वाले का नाम व पिता का नाम
2024	1	1	दिपक पुत्र श्री अशोक
2023	4	2	1. प्रिंस पुत्र श्री श्याम लाल

Scanned with CamScanner

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th></th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2. सुनील पुत्र श्री जगपाल</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>2</td><td>2</td><td>1. रामनिवास पुत्र श्री सुन्दर
2. समीर पुत्र श्री शमशेर</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>6</td><td>3</td><td>1. महेश पुत्र श्री बलराज
2. अंकित पुत्र श्री विक्रम
3. श्रीकांत पुत्र श्री रामास्वामी</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>54</td><td>3</td><td>1. मेहताब पुत्र मुफीदुल
2. सिकन्दर पुत्र शमशेर
3. दिलशेर पुत्र अलीशेर</td></tr>
</table>
उक्त सभी मृतक जेलों में निरूद्ध बंदी थे । इन 5 सालों में हिंसा के दौरान किसी भी कर्मचारी का देहांत नहीं हुआ ।
</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>जेलों में हो रही हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और सुरक्षा से जुड़ी खामियों को निवारण करने के लिए सरकार ने क्या रूपरेखा तय की है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए;</td><td>(ग)</td><td>जेलों में हो रही हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), तमिलनाडु विशेष पुलिस (TSP) और जेल कर्मियों की संगठित Quick Reaction Teams और Intelligence Wing का गठन किया गया है जो किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में जेलों</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

	प्रश्न		उत्तर
			में होने वाली हिंसक घटनाओं से निपटने के लिए पूर्णतय समर्थ है ।
(घ)	जेलों में भ्रष्टाचार के कारण अनधिकृत वस्तुओं जैसे कि मोबाइल व नशीले पदार्थों को अंदर ले जाने की कई घटनायें रोकने हेतु सरकार व जेल प्रशासनों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाये; और	(घ)	निम्नलिखित कॉल ब्लॉकिंग उपाय और सुरक्षा उपाय लागू हैं। 1. 03 T-HCBS (Tower of Harmonious Call Blocking System) तिहाड़ जेल परिसर में एवं 1 मंडोली जेल परिसर में स्थापित किया गया है । 2. तिहाड़ जेल परिसर में 15 Mobile Phone Jammers (Model JTLS-301) लगाये गये हैं । 3. दिल्ली जेल के तिहाड़, रोहिणी एवं मंडोली जेल परिसरों में अभी तक 7549 CCTV Cameras लगवाये जा चुके हैं । 4. जेलों के प्रवेश द्वार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 Deep Search Metal Detectors, 610 Bodyworn Cameras, 23 X-ray Baggage Scanners, 27 Pole Type Metal Detector, 12 Non-Linear Junction Detector (NLJD), 47 Door Frame Metal Detector (DFMD) और 250 Hand Held Metal Detector (HHMD) लगाये गये हैं जिनके द्वारा बंदी और बंदियों द्वारा लाये गये सामान की गहन रूप से जाँच पड़ताल की जाती है ।
(ड)	जेलों में कैदियों की बढ़ती हुई संख्या से ओवर क्राउडिंग जैसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए सरकार की क्या योजना है, इसकी जानकारी दी जाए ?	(ड)	जेलों में कैदियों की बढ़ती हुई संख्या से over crowding की समस्या के समाधान के लिए जेल प्रशासन निम्न कदम उठा रहा है: 1. जेल विभाग सभी जेलों में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से eligible undertrial prisoners के मामलों पर विचार करने के लिए सभी जिला न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश के साथ

Scanned with CamScanner

	प्रश्न		उत्तर
			नियमित Under trial Review Committee (UTRC) meetings में उनकी जमानत पर विचार करने के लिए Data उपलब्ध कराता है । वर्ष 2023 में Under trial Review Committee (UTRC) के हस्तक्षेप के बाद 1054 कैदियों को रिहा किया गया ।
		2.	जेल विभाग उन विचाराधीन कैदियों के मामलों का फैसला करने के लिए विशेष अदालतों के आयोजन में सहायता करता है जो छोटे-मोटे अपराधों में जेलों में बंद हैं और स्वेच्छा से अपना अपराध कबूल करने को तैयार हैं । अब तक विशेष अदालत की 246 बैठकों में 6614 कैदियों को रिहा किया है ।
		3.	पहले चरण में नरेला जेल परिसर में 256 कैदियों के लिए लगभग 20 एकड़ भूमि में एक नई उच्च सुरक्षा जेल विकसित करने का प्रस्ताव है ।
		4.	आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिए नियमित Sentence Review Board (SRB) बैठकों का आयोजन किया जाता है ।

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

कुलदीप सिंह

उप सचिव (गृह)

Deputy Secretary (Home)
Govt. of NCT of Delhi, 5th
Level, C-Wing, Delhi
Secretariat, I.P. Estate, New Delhi

उप. सचिव (प्रश्न एवं समिति), दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

Scanned with CamScanner